



भारत सरकार/वित्त मंत्रालय
Government of India/Ministry of Finance
प्रधान आयुक्त कार्यालय, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा-कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क
Office of the Principal Commissioner, Central GST & Central Excise
केंद्रीय राजस्व भवन - 5, मेन रोड, रांची - 834001
Central Revenue Building-5, Main Road, Ranchi- 834001
दूरभाषन.(0651) 2330218 , फैक्स न.(0651) 2332420



विरमन आदेश

दिनांक: 01.11.2023

CBIC के कार्यालय आदेश आदेश संख्या 186 दिनांक 27.10.2023 तथा सहायक आयुक्त (CCO) केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, रांची जोन, पटना (मु०) द्वारा जारी मि. सं GCCO/II/3/PROM/3/2023-ADMN-O/CC-CGST-ZONE-RANCHI/14203-11 दिनांक 31.10.2023 के अनुसरण में निम्नलिखित सहायक आयुक्तों को उनके नए पदस्थापना स्थान पर योगदान देने के निर्देश के साथ दिनांक 03.11.2023 (अपराहन) से विरमित किया जाता है :

क्रम सं	नाम (श्री./श्रीमती/सुश्री)/ पदनाम	वर्तमान पदस्थापना का स्थान	नए पदस्थापना का स्थान
01	SUBHASH CH SHARMA ASSISTANT COMMISSIONER (Batch/Emp ID 2023/12069)	CGST & CX, RANCHI (ON PROMOTION)	LUCKNOW GST & CX ZONE
02	SANJEEV KR RAY ASSISTANT COMMISSIONER (Batch/Emp ID 2023/12125)	CGST & CX, RANCHI (ON PROMOTION)	CC (AR) CESTAT DELHI

सभी स्थानांतरित अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने नए पदस्थापना स्थल पर दिनांक 18.11.2023 तक अवश्य योगदान कर लें।

यह सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदन से निर्गत किया जाता है।

भवदीय,
01.11.23

(प्रेमचन्द द्वारसिंह)

सहायक आयुक्त (कार्मिक एवं सतर्कता)
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, रांची (मु०)

दिनांक: 01.11.2023

मिसं. II (1) 17-ET/Gr 'A'/Commr/RNC/22 5074-5085
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. उपरोक्त संबंधित अधिकारी।
2. उप/सहायक आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, दक्षिण प्रमंडल, धनबाद।
3. प्रधान आयुक्त/आयुक्त (CCO), केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, लखनऊ।
4. प्रधान आयुक्त/आयुक्त (AR), CESTAT, दिल्ली।
5. प्रधान आयुक्त के निजी सहायक, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, रांची।
6. अपर आयुक्त, (कार्मिक एवं सतर्कता) के निजी सहायक, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, रांची।
7. सहायक आयुक्त (CCO) केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, पटना।
8. PAO/CAAO केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, रांची।
9. अधीक्षक (सिस्टम), केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, रांची। उनसे अनुरोध है कि तत्काल आदेश को आयुक्तालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।
10. नोटिस बोर्ड/गार्ड फाइल।

01.11.23
(प्रेमचन्द द्वारसिंह)

सहायक आयुक्त (कार्मिक एवं सतर्कता)
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, रांची (मु०)